यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी के अवधि 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संतोष गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 22.07.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रजंन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.04.2014 से 03.05.2014 तक श्री आई.के. जुयाल, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 06/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :**

	नाम	पदनाम	अवधि
2.	ई. दर्शन लाल	अधि. अभियन्ता	11.12.2013 से 31.10.2015 तक
3.	ई. युवराज सिंह	अधि. अभियन्ता	01.11.2015 से 07.04.2016 तक
4.	ई. तेजपाल	अधि. अभियन्ता	08.04.2016 से वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग–2 अ	भाग–2 ब	STAN
01/2003–04	शून्य	शून्य	1
19/ 2004–05	शून्य	1	शून्य
60/2005–06	1	1, 2	शून्य
13/2010–11	शून्य	1, 2, 3	शून्य
07/2014–15	शून्य	1, 2, 3, 4	शून्य

(स). सतत् अनियमितताऐं – शून्य

(द). अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष गैर स्थापना (8443)	आवंटन		व्यय		अवशेष	
		स्थापना (2515)	गैर–स्थापना (8443)	स्थापना (2515)	गैर–स्थापना (8443)	स्थापना (2515)	गैर–स्थापना (8443)
2014–15	747.06	144.70	906.29	138.74	993.66	5.97	659.69
2015–16	659.69	155.25	1101.12	151.35	762.11	3.90	998.78

भाग -II (ब)

प्रस्तर 1 :- निर्माण कार्यों को विभिन्न टुकड़ों मे विभक्त कर कराया जाना तथा ` 70.20 लाख की शासकीय धनराशि विगत दो वर्षों से अधिक समय से अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रहना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 24.03.2008 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर मे सामुदायिक विकास विभाग का आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु ` 248.67 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे निम्नवत भवन का निर्माण कार्य होना था :-1- कार्यालय भवन 01, 2- टाइप प्रथम 03 नग, 3-टाइप II 06 नग, 4- टाइप III 09 नग, 5- टाइप IV 01 नग।

प्रशनगत निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि फरवरी 2014 तक उक्त निर्माण के लिए कुल रुपए 231.87 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी जिसके सापेक्ष रुपए 161.60 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कार्यालय भवन 01, टाइप प्रथम 03 नग , टाइप II 04 नग , टाइप III 04 नग तथा टाइप IV 01 नग भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था और टाइप II के 2 आवास तथा टाइप III का 05 आवास का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था, इकाई के पास ` 70.20 लाख की धन राशि विगत दो वर्ष से अधिक समय से अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी जिसके सापेक्ष न तो निर्माण कार्य संपादित किया गया और न ही उक्त राशि ग्राहक विभाग को वापस की गयी थी परिणाम स्वरूप न केवल ` 70.20 लाख की धनराशि अवरुद्ध थी जिसका उपयोग शासन / ज़िला अधिकारी द्वारा अन्यत्र विकास कार्यों मे किया जा सका अपितु ग्राहक विभाग के निर्माण कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

आगे जांच मे पाया गया कि निर्माण इकाई द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु एक विस्तृत आगणन न बना कर आठ टुकड़ों मे विभक्त कर आगणन तैयार किया गया था और पाँच आगणन/कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य संपादित किया गया था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था। निर्माण इकाई के इस कृत्य से परिलक्षित होता है कि उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए कार्यों को विभिन्न टुकड़ों मे विभक्त किया गया था ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए निर्माण कार्यों को विभिन्न टुकड़ों मे विभक्त किया गया था तथा ` 70.20 लाख की शासकीय धनराशि विगत दो वर्षों से अधिक समय से अनावश्यक रूप से अवरूद्ध थी जिसका अन्यत्र विकास कार्यो मे उपयोग नहीं किया जा सका तथा ग्राहक विभाग के निर्माण कार्य के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति भी अप्राप्त थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि उपलब्ध थी, समय - समय पर विकास खण्ड स्तर से लघु कार्य करवाये जाने के कारण पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी। आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था जिसके लिये एक मुश्त विस्तृत प्राक्कलन (DPR) शासन को प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष विभिन्न किश्तों में धनाबंटन हुआ तथा धनाबंटन के अनुकूल ही विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया। विभाग द्वारा समय - समय पर संबन्धित विभाग को भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा जा रहा है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जब एक मुश्त विस्तृत प्राक्कलन (DPR) शासन को प्रेषित किया गया था विभिन्न किश्तों में धनराशि का आबंटन होने से निर्माण कार्यों को विभिन्न टुकड़ों में विभक्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता तथा ` 70.20 लाख की शासकीय धनराशि विगत दो वर्षों से अधिक समय से अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रखे जाने के कारण उक्त धनराशि उपयोग अन्यत्र विकास कार्यों में नहीं किया जा सकने तथा ग्राहक विभाग के निर्माण कार्य के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति भी अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2 :- ` 6.56 लाख की एल॰ डी॰ की कटौती/ वसूली न करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रा० उ० मा०वि० काण्डा जाख, जौनपुर में मुख्य भवन के निर्माण कार्य हेतु ` 37.98 लाख स्वीकृत किया गया उक्त धनराशि के विरुद्ध प्रथम किश्त ` 35520500/- चैक संख्या- 836342 दिनांक 20-06-2014 के द्वारा अवमुक्त कर दिया गया। इसके लिए अनुबन्ध संख्या - 14 दिनांक 12-8-2014 गठित किया गया जिसमें श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री रतन सिंह ग्राम काण्डा जाख, जिला टिहरी गढ़वाल को धनराशि ` 3577056/- में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 13-08-2014 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 12-08-2015 निर्धारित की गयी। Clause 05 के अनुसार ठेकेदार को समय को छः माह तक की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य समय से प्रारम्भ तो किया गया लेकिन कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी। ठेकेदार द्वारा यथा समय कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा ठेकेदार के द्वारा समय विस्तार हेतु प्रथम आवेदन दिनांक शून्य, 09 माह की बढ़ाने के लिए दिया एवं द्वितीय आवेदन दिनांक 17-05-2016 को दिया जोकि निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया। जिसकी वृद्धि हेतु विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित नहीं किया गया और न ही ठेकेदार को समय वृद्धि दी गयी। जबकि विभाग तथा रमसा (शिक्षा विभाग) के बीच हुये एमओयू के अनुसार ठेकेदार दी गयी समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं करता है तो ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी लेकिन विभाग द्वारा न तो ठेकेदार का अनुबद्ध निरस्त किया गया और न ही ठेकेदार से कार्य समय से पूर्ण न किए जाने के कारण 10 प्रतिशत की दर से एल० डी० की वसूली ` 3.58 लाख (3577056 का 10%=357705) नहीं की गयी।

आगे यह भी देखा गया कि रा० इ० का० ओखलाखाल में कक्षा- कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय खण्ड निर्माण कार्य के लिए अनुबंध संख्या 21 दिनांक 22-12-2011 गठित किया गया था। जिसमें श्री धर्मानन्द नौटियाल, ग्राम ओखलाखाल तहसील प्रतापनगर को प्राक्कलन की धनराशि ` 3382578/- के सापेक्ष धनराशि ` 2976669/- में कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 23-12-2011 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 22-08-2012 निर्धारित की गयी। निर्माण कार्य समय से प्रारम्भ तो किया गया लेकिन कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी जिस कारण उक्त कार्य

विगत चार वर्षों से अपूर्ण था एमओयू के अनुसार ठेकेदार यदि दी गयी समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं करता है तो ठेकेदार से जी० पी० डब्लू०-09 के अनुसार 10 प्रतिशत के अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी, लेकिन विभाग द्वारा न ही ठेकेदार से कार्य समय से पूर्ण न किए जाने के कारण 10 प्रतिशत की दर से एल० डी० ` 2.98 लाख (2976669 का 10%=297666/-) की वसूली की गयी और न ही ठेकेदार का अनुबद्ध निरस्त किया गया। जो की स्पष्ट करता है कि उक्त दोनों कार्यों मे ठेकेदारों को धनराशि ` 6.56 लाख (3.58+2.98=6.56) की वसूली न करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ठेकेदार के साथ किए गये अनुबन्ध में एल० डी० का प्रावधान नहीं किया गया था तथा निर्माण कार्य को यथासमय पूर्ण कराये जाने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किए गये।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार से जो अनुबन्ध किया गया था उसमें विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा यथासमय कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर उस पर किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं किए जाने से ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से कार्य कर रहा था और बार - बार समय विस्तार के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं करने पर भी समय विस्तार दिया जा रहा था। जिसके लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ठेकेदारों से एल० डी० की वसूली धनराशि ` 6.56 लाख नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 3 :- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में ` 25.73 लाख का व्ययधिक्य तथा धनराशि का व्यावर्तन ।

ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों से संबन्धित वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष निर्माण इकाई ने तीन मार्गों के निर्माण में जून 2016 तक प्राप्त धनराशि ` 120.89 लाख के सापेक्ष ` 146.62 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था जो कि प्राप्त धनराशि से ` 25.73 लाख अधिक था तथा अधिक व्यय की गयी राशि का किस कार्य से व्यावर्तन किया गया था इसका न तो उल्लेख किया गया था और न ही धनराशि व्यय करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया गया था, विवरण निम्नवत था:-

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**मार्ग की लम्बाई किमी**	**स्वीकृत राशि**	**अवमुक्त राशि**	**व्यय की गयी राशि**	**व्ययधिक्य राशि**
1	चम्बा धारसू मोटर मार्ग से क्लेथ ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	1.375	148.84	48.50	69.72	21.22
2	नाई भिंडार्थ मोटर मार्ग के किमी 2 से नोवगांव तक ग्रामीण मोटर का निर्माण	2.15	210.39	36.50	39.89	3.39
3	पपरा तल्ला से पपरा मल्ल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1.675	187.55	35.89	37.01	1.12
			546.78	**120.89**	**146.62**	**25.73**

वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य पर उतना ही व्यय किया जाना चाहिए जितनी धनराशि प्राप्त होती है प्राप्त धनराशि से अधिक का व्यय कदापि नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि से `॰ 25.73 लाख अधिक का व्यय किया गया और अधिक व्यय की धनराशि का अन्य कार्य से व्यावर्तन किया गया

था जो कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था। आगे जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत पापरा तल्ला से पापरा मल्ल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को पाँच टुकड़ों में विभक्त कर चार कार्य work order के माध्यम से संपादित कराया जा रहा था जबकि समस्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था जिससे कि विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरों को लाभ मिल सके जो कि नहीं किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया की अवमुक्त धनराशि ` 120.89 लाख के सापेक्ष ` 70.27 लाख का ही वास्तविक व्यय किया गया है तथा संबन्धित कार्य के प्रथम चरण में हिल का कार्य कार्यादेश के माध्यम से Job- wise करवाया गया है। चम्बा धरासू मोटर मार्ग के प्रथम चरण हेतु ` 100 लाख का एवं द्वितीय चरण के निर्माण हेतु पृथक - पृथक आगणन तैयार किए गये। प्रथम चरण में हिल कटिंग एवं मुआवजे का कार्य किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जून 2016 की मासिक प्रगति रिपोर्ट में धनराशि ` 120.89 लाख के सापेक्ष ` 146.62 लाख की धनराशि का व्यय किया जाना यह दर्शाता है कि प्राप्त धनराशि से ` 25.73 लाख अधिक व्यय किया गया था। जिससे यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा शासन को भेजी गयी मासिक प्रगति रिपोर्ट गलत भेजी जा रही थी एवं विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत बिना निविदा आमंत्रित किए कार्य कराये गये तथा निर्माण हेतु पृथक-पृथक आगणन तैयार किए गया जो कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था। अतः विभाग द्वारा ` 25.73 लाख का व्ययधिक्य तथा धनराशि का व्यावर्तन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र